न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 18/2021 (डूंगरपुर डिक्री)

1. बापुलाल पिता स्वर्गीय कुबेर मनात, निवासी पंचवटी, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. सतीश पिता बापुलाल मनात, निवासी पंचवटी, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. श्रीमती सुगन्धा पत्नी बापुलाल मनात, निवासी पंचवटी, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
4. देवीलाल पिता स्वर्गीय कुबेर मनात, निवासी पंचवटी, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती रमीला देवी पत्नी अशोक कुमार परमार मीणा, निवासी डोला हाल डूंगरपुर 2/78, शिवाजी नगर हाउसिंग बोर्ड, तहसील व जिला डूंगरपुर।
2. गणेश पिता पूंजा मनात, निवासी पंचवटी, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. श्रीमती बसु उर्फ बसन्ती देवी पत्नी गणेश मनात, निवासी पंचवटी, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
4. भूमिधारी तहसीलदार, सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
का.अ. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा दिनांक
04.03.2020 प्रकरण संख्या 58/2018

———/———

उपस्थित :– 1– श्री शैलेष भण्डारी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री लक्ष्मीलाल जैन अभिभाषक रेस्पो. सं. 1

———::———

निर्णय **दिनांक 08–08–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या [illegible] धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अ[illegible] वादिया के खातेदारी व स्वामित्व की आराजी नंबर 165 [illegible] 0.2022 हैक्टर भूमि मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:51:38 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

पंचवटी में स्थित है। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 जबरन उक्त आराजी पर कब्जा करने पर उतारू हैं। अतः वादिया को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04–03–2020 से वादीया का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी का खातेदार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील दिनांक 23–11–2021 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता लक्ष्मीलाल जैन उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कोरोना की द्वितीय लहर के बाद अपीलान्टगण ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो कोरोना के कारण कोर्ट में अभी काम काज बन्द चल रहा है। इसके बाद शिविर में अपीलान्टगण को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण ने अपना अधिवक्ता नियुक्त कर रखा था तथा उनके अधिवक्ता श्री लालशंकर पाटीदार ने दिनांक 05–11–2018 को [illegible] भी प्रस्तुत किया तथा उन्होंने जरूरत होने पर [illegible] किन्तु उनके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने से अपीलान्टगण के [illegible] कार्यवाही कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:51:38 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
उदयपुर

मु-प्रबन्ध आ...
एवं पदेन राजस्व अपील ...
उदयपुर (राज.)

दी गयी, जिससे अपीलान्टगण अपना जवाबदावा प्रस्तुत नहीं कर सके। विवादित आराजी नंबर 162 पर अपीलान्टगण का कब्जा अपने पूर्वजों के समय से चला आ रहा है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को बिना सुने निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे तथा अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर 2016 (2) DNJ (Raj.) Page 473, RRT 2020 (1) Page 524 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रदर्श 1 जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में विवादित आराजी नंबर 162 रकबा 0.2022 हैक्टर वादिया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के खातेदारी में दर्ज है। अपीलान्टगण उक्त आराजी पर अपना पूर्वजों के समय से कब्जा बताते हैं, किन्तु प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपीलान्टगण को किसी प्रकार के हक अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते, जैसाकि अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों के अवलोकन से स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में वादिया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 विवादित आराजी की रेकार्डेड खातेदार होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादिया का वाद डिक्री किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि की जाना प्रकट नहीं होता है तथा अपील सारहीन होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 04–03–2020 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 08–08–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:51:38 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीपसिंह सांगावत)
एडिशनल राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......**मू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.........मुकाम........**उदयपुर**............
व इजलास ....**प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.** ....

बापुलाल पिता स्वर्गीय कुबेर मनात, निवासी पंचवटी, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर व अन्य	बनाम	**श्रीमती रमीला देवी पत्नी अशोक कुमार परमार, नि0 डोला हाल डूंगरपुर 2/78, शिवाजी नगर हाउसिंग बोर्ड, तहसील व जिला डूंगरपुर व अन्य**

अपील नं.......**18/2021**..........व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**......**सागवाड़ा**.......... मुकाम...............मुवर्खे..........**04**.............माह.............**03**...........**2020**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........**08**....माह........**08**....सन् **2024** रूबरू.......**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री शैलेष भण्डारी**...मिनजानिब अपीलान्ट व....**श्री लक्ष्मीलाल जैन**

...........रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 04–03–2020 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......**08**.......माह.......**08**..........**2024** को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म में डिगरी का कुल खर्चा लिखा जावे, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:51:38 IST
Reason: SelfAttested